

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

कंमाक-4/एम.आर./सेल-1/2018/ 838  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/08/2018

क्षेत्रीय संचालक,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।

विषय: - चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क/द्वि.अभि/2018/7862-63 दिनांक 08/06/2018

—000—


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवासीय आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन नई दिल्ली में पदस्थ (1) श्रीमती जमना ब्रह्मा, हाउस कीपर (2) श्री विनोद कुमार पाण्डेय, केशियर (3) श्री रामस्वरूप, माली चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत हेतु भेजे गये है।

चिकित्सा देयकों का परीक्षण चिकित्सकों द्वारा किया गया। परीक्षण उपरांत निम्न मत दिया गया :-

क.	शासकीय कर्मचारी का नाम	देयक की संख्या	चिकित्सा देयकों की राशि	अभिमत
1	श्रीमती जमना ब्रह्मा, हाउस कीपर	03	49,658/-	श्रीमती जमना ब्रह्मा, हाउस कीपर की चिकित्सा देयको का परीक्षण किया गया जिसमें चिकित्सक के पर्चे की मूल प्रति के बजाय प्रति की छायाप्रति संलग्न की गई है। एम्स चिकित्सालय के पर्चे की छायाप्रति में चिकित्साक द्वारा दिनांक 09.11.2017 को मरीज को तीन माह का उपचार हृदय रोग के लिये दिया गया है। आवेदक द्वारा तीन केशमेमो के द्वारा प्रत्येक बिल में तीन-तीन माह के लिये 180 टेबलेट AZMARDA दिनांक 1.12.17 को 180 टेबलेट दिनांक 2.1.18 को 180 टेबलेट 1.02.18 को खरीदी गई है। चिकित्सक द्वारा पर्चे पर टेबलेट AZMARDA दिनांक 09.11.17 को तीन माह के लिये सुबह-शाम देने का उल्लेख किया गया है। अतः चिकित्सक के परामर्श अनुसार

				टेबलेट AZMARDA टेबलेट 180 का तीन माह के लिये दी गई है। बिल में टेबलेट PRADOXA का उल्लेख किया गया जो कि चिकित्सक के पर्चे में नहीं लिखा गया है। अतः प्रकरण का परीक्षण अपने स्तर से करने का कष्ट करें।
2	श्री विनोद कुमार पाण्डेय, केशियर	01	42,347 / -	श्री विनोद कुमार पाण्डेय केशियर के चिकित्सा देयको का परीक्षण किया गया जिसमें जाँच का पर्चा डॉ इन्दु बाला जो B.A.M.S. की डिग्री धारी का है, तथा जिनकी क्लिनिक चण्डीगढ़ में है। डॉ इन्दु बाला ने अपने पर्चे पर सिरप SATCON लिखा है। जिसकी कीमत प्रति बोतल 4,500/- रुपये है कुल 09 बोतल सिरप की कीमत 36,180/- रुपये दर्शाई गई है। B.A.M.S. एक आयुर्वेदिक की उपाधी है। अतः आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा देयको की प्रतिपूर्ति नियमानुसार नहीं कि जा सकती है। प्रकरण अमान्य किया जाता है।
3	श्री रामस्वरूप, माली	01	31,318 / -	श्री रामस्वरूप, माली के चिकित्सा देयको का परीक्षण किया गया उनके द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराया गया। अतः प्रकरण में आकस्मिकता का कारण हो तो कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभागीय समिति ग्वालियर में प्रकरण रखकर निर्णय लिया जावे।


संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड द्वारा अनुमोदित

  
उप संचालक (एम0आर0)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14/08/2018

प.कंमाक-4/एम.आर./सेल-1/2018/839  
प्रतिलिपि :-

1. लेखाधिकारी, आवासीय आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश भवन 02 लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली (110021) की ओर सुचनार्थ प्रेषित।

  
उप संचालक (एम0आर0)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/ 837 भोपाल दिनांक 14/08/2018  
प्रति,

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./1545/2018 दिनांक 14.07.2018


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री आर०पी०सोनकर, न्यायिक अधिकारी तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, निवाडी जिला टीकमगढ़	02	राशि रूपयें 6,546=00 (शब्दों में रूपयें छः हजार पांच सौ चौंसठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

  
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/836  
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/08/2018

कार्यालय अध्यक्ष,  
राज्य परिवहन  
अपीलीय मोतीमहल,  
ग्वालियर

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./309/स्था/रापअअ/2018 दिनांक 11.07.2018.

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री ए.एस.तोमर, अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय मोतीमहल, ग्वालियर	07	राशि रूपयें 12,278=00 (शब्दों में रूपयें बारह हजार दो सौ अठहतर मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप:- कुल चिकित्सा देयक राशि 14,778=00 में से एम.आर.आई की अतिरिक्त राशि 2,500=00 कम की गयी है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

13/08/18  
(डॉ. अर्चना पुण्डरीर)  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/835 भोपाल दिनांक 14/08/2018  
प्रति,

कार्यालय क्षेत्रीय संचालक,  
स्वास्थ्य सेवार्ये,  
ग्वालियर म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./दि.अभि./2018/8605-6 दिनांक 29.06.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती जमुना बहम्रा हाउस कीपर कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये, ग्वालियर म.प्र.(लेखाअधिकारी आवासीय आयुक्त कार्यालय म.प्र. शासन म.प्र. भवन 02 लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई मार्ग चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021)	01	राशि रूपयें 34,575=00 (शब्दों में रूपयें चौतीस हजार पांच सौ पचहतर मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

(डॉ. अर्चना पुण्डीर)

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/ 834 भोपाल दिनांक 14/08/2018  
प्रति,कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,  
ग्वालियर म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./बजट/चि.प्र.पू./प्रशा.स्वी./18/5704 दिनांक 03.07.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री सुरेश चन्द्र भृत्य विकास खण्ड मुरार ग्वालियर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, ग्वालियर म.प्र.	08	राशि रूपयें 45,863=00 (शब्दों में रूपयें पैंतालीस हजार आठ सौ तिरसठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

(डॉ. अर्चना पुण्डीर)  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/833  
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/08/2018

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जिला भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./4372/18 दिनांक 07.07.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री सुरेश कुमार प्रजापति, सहा० ग्रेड-3 कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला भोपाल	02	राशि रूपयें 11,909=00 (शब्दों में रूपयें ग्यारह हजार नौ सौ नौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

(डॉ. अर्चना पुण्डीर)  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/832 भोपाल दिनांक 14/08/2018  
प्रति,

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जिला छिन्दवाड़ा

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./199048/तीन-13-02/2017 दिनांक 30.06.2018

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री उमेश विश्वकर्मा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला छिन्दवाड़ा	04	राशि रूपयें 13,838=00 (शब्दों में रूपयें तेरह हजार आठ सौ अड़तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संरिथत बोर्ड  
से अनुमोदित

12/08/18  
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-1 / द्वि.अ. / एफ 01 / 831  
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/08/2018

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जिला छिन्दवाड़ा

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क. / 1651 / तीन-13-02 / 2017 दिनांक 25.05.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री उमेश विश्वकर्मा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला छिन्दवाड़ा	04	राशि रूपयें 14,510=00 (शब्दों में रूपयें चौदह हजार पांच सौ दस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। भुगतान पूर्व चिकि. देयक क-1 व 2 में चिकि. देयक फार्म में प्रतिहस्ताक्षर कराये।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

14/08/18  
(डॉ. अर्चना पुण्डर)  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/830  
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/08/2018

आहरण संवितरण अधिकारी  
आर.सी.वी.पी., नरोन्हा प्रशासन अकादमी,  
नियर 1100 क्वार्टस, अरेरा कालोनी,  
पोस्ट बैग न.506, भोपाल-462016

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./4086/अक्रा./लेखा/2017 दिनांक 03.07.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री नफीस मोहम्मद खान, वाहन चालक आर.सी.वी.पी. नरोन्हा अकादमी, म.प्र., भोपाल	07	राशि रूपयें 18,761=00(शब्दों में रूपयें अठारह हजार सात सौ इकसठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप:- चिकित्सा देयक राशि 1988.00+951.00=2938.00 यूनानी चिकित्सालय से सम्बन्धित है इस देयको पर संचालक आयुष का मत प्राप्त करे।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

13/08/18  
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/829  
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/08/2018

कार्यालय अधीक्षक,  
म.प्र. स्टेट गैरेज जहांगीराबाद,  
भोपाल म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./261/लेखा/2018 दिनांक 26.06.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री साहेवराव खरात वा०चा० कार्यालय अधीक्षक, म.प्र. स्टेट गैरेज जहांगीराबाद, भोपाल	01	राशि रूपयें 48,643=00 (शब्दों में रूपयें अड़तालीस हजार छः सौ तैतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

(डॉ. अर्चना पुण्डीर)

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/828  
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/08/2018

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
सीहोर म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./1577/मेडिकल/2018 दिनांक 09.06.2018

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री जी.पी. अग्रवाल, तत्कालिन द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आष्टा, कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर म.प्र.	07	राशि रूपयें 20,240=00 (शब्दों में रूपयें बीस हजार दो सौ चालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

(डॉ. अर्चना पुण्डरीर)  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/821  
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/08/2018

कार्यालय अधीक्षण यंत्री,  
लोक निर्माण विभाग,  
सेतु निर्माण मण्डल,  
भू-तल, प्लाट नं 27-28 अरेरा हिल्स  
भोपाल म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./1375/स्था/चि.दे./अ.य./से.म./2017 दिनांक 31.05.18

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती विमला सिंह, सहायक ग्रेड-3 कार्यालय अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण मण्डल, भू-तल, प्लाट नं 27-28 अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.	02	राशि रूपयें 14,236=00 (शब्दों में रूपयें चौदह हजार दो सौ छत्तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

(डॉ. अर्चना पुण्डरीर)  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/826  
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/08/2018

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भोपाल, (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./3245/2018/ दिनांक 05.06.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री जयंत चव्हाण, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, म.प्र. कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, म.प्र.	14	राशि रूपयें 36,528=00 (शब्दों में रूपयें छत्तीस हजार पांच सौ अट्ठाइस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

13/08/18  
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/825  
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/08/2018

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भोपाल, (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./3199/2018/ दिनांक 04.06.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री जयंत चव्हाण, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, म.प्र. कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, म.प्र.	10	राशि रूपयें 31,903=00 (शब्दों में रूपयें इकतीस हजार नौ सौ तीन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

13/8/18  
(डॉ. अचेना पुण्डीर)  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/824  
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/08/2018

कार्यालय मुख्य अभियंता  
बोधी, जल संसाधन विभाग,  
जल संसाधन भवन,  
तुलसी नगर-भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./1711/एम.आर.3/बोधी/2018/दिनांक 22.05.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री ए.पी.तिवारी, सहायक ग्रेड-3 कार्यालय मुख्य अभियंता बोधी, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर-भोपाल	01	राशि रूपयें 1,845=00 (शब्दों में रूपयें एक हजार आठ सौ पैतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

A/13/08/18  
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश